

संस्थाओं के आवंटन/कॉलोनी एवं सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन बाबत
निर्धारित मापदण्डों की चैक लिस्ट।

पार्ट (अ) आवंटन सूचनाएं

आवेदक का नाम/जात	श्री वैश्य चित्तौड़ा स्नेह समिति, कोटा
ब्लॉक/क्वार्टर/कॉलोनी का नाम जहां भूमि चाही गई है।	श्रीनाथ पुरम, कोटा, R.K.Puram
चाही गई भूमि का विवरण (राजस्व ग्राम/कॉलोनी का नाम खसरा नंबर, क्षेत्रफल आदि)	श्रीनाथ पुरम, कोटा 1500 वर्ग मीटर C-Section
आवेदनकर्ता संस्था के रजिस्ट्रेशन की दिनांक व अन्य विवरण	173 / 2006 - 2007
संस्था का गत तीन वर्षों का आय-व्यय विवरण तथा गतिविधियों का लेखा जोखा	संतुल्य
संबंधित आवेदक संस्था द्वारा किये गये/किये जा रहे कार्यों का विवरण	संतुल्य
चाही गई भूमि के उपयोग बाबत परियोजना रिपोर्ट, निर्माण लागत व आर्थिक संसाधनों का विवरण।	संस्था व अन्य सामाजिक कार्य हेतु

पार्ट (ब) रियायती दर पर आवंटन के औचित्य की सूचनाएं

परियोजना का लाभ समाज के किन वर्गों को व क्या लाभ मिलेगा। आवंटित किये जा रहे क्षेत्रफल का औचित्य एवं इस बाबत नोर्मस	संस्था व समाज के सभी वर्गों को सामाजिक क्षेत्र में संस्था की भागीदार
क्या संस्था को पूर्व में कभी इसी शहर में भूमि आवंटित की गई थी। यदि हां तो निकाय जिसके द्वारा आवंटन किया गया का नाम, आवंटन की दिनांक व क्षेत्रफल	नहीं
संबंधित निकाय द्वारा किस दर पर संस्था को आवंटन का निर्णय लिया गया।	
आवेदक संस्था द्वारा आवंटन के पेटे कितने प्रतिशत व कितनी राशि किस दिनांक को संस्था में जमा करवायी गई।	
चाही गई विकसित भूमि की वर्तमान आरक्षित दर	
चाही गई अविकसित भूमि की वर्तमान आरक्षित दर।	
चाही गई भूमि नगर निगम/नगर परिषद/स्थानीय निकाय सीमा के अन्दर स्थित है अथवा बाहर	नगर विनम सीमा, कोटा
आवेदक संस्था के पदाधिकारियों/सदस्यों/प्रमोटर्स का विवरण तथा इनके साथ संबंधी विवरण	सम्बंधित सभी दस्तावेज संतुल्य
यदि आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार की किसी योजनान्तर्गत कार्य किया जा रहा हो तो उसका विवरण	
यदि आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार/अन्य वित्तीय संस्था से कोई आर्थिक सहायता प्राप्त की जा रही है तो उसका विवरण	
आवेदक संस्था को भूमि आवंटित करने का औचित्य	संस्था के विकास और सामाजिक भागीदारी को बढ़ाने
आवेदक संस्था को आरक्षित दर से कम दर पर भूमि आवंटित किये जाने का औचित्य एवं कितनी रियायत दिया जाना अपेक्षित है एवं कार्यों के संबंध में विवरण	
यदि आवेदक संस्था प्रीमियर संस्था की श्रेणी में आती है तो संस्था द्वारा किये जाने वाली विनिवेश राशि का विवरण	
आवंटन करने वाले निकाय का अभिमत	
क्या प्रश्नगत भूमि बाबत वर्तमान में किसी न्यायालय में कोई प्रकरण विद्याराधीन है अथवा रथगन आदेश प्रभावी है। अन्य विवरण	कोई नहीं